

FORM No. III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

सत्यनारायण सैनी पुत्र श्रवण सैनी, निवासी- पण्डेर, तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा।	बनाम	कमल शर्मा पुत्र महावीर शर्मा, निवासी- पण्डेर तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा वगेरा।
- प्रार्थी		-विपक्षी

प्रकरण संख्या 27/2024 निगरानी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 उपस्थित। निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् निगराकार की अनुपस्थिति में निगरानी खारिज कराये जाने पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2024 को पेश हो।  जिला कलक्टर जिला कलक्टर शाहपुरा	
03.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 उपस्थित। निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा पूर्व पेशी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् निगराकार की अनुपस्थिति में निगरानी खारिज कराये जाने बहस की गई। दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा निवेदन किया गया कि तामील होने के बाद भी निगराकार न्यायालय के समक्ष एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में निगरानी याचिका आदेश 9 नियम 3 जा0दी0 के तहत पक्षकार उपसंजात नहीं होने पर निगरानी याचिका खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रस्तुत बहस पर मनन करने किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त पाया गया कि निगराकार तामील होने के बाद भी कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् निगराकार की अनुपस्थिति में निगरानी खारिज कराये जाने स्वीकार किया जाकर निगराकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है।  जिला कलक्टर जिला कलक्टर शाहपुरा	